संख्या:एन0जी0टी0–193 / नौ–5–2024–21रिट / 2023

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

रजिस्ट्रार
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ:दिनांक: 23 जुलाई, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710 / 2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710 / 2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 का कियात्मक अंश का विवरण निम्नवत् है:–

"--1. In the Original Application, the applicant has raised the grievance that there was a park earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on G.T. Road Mile 8/7, Sahibabad, Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation is undertaking the activity of construction of road/pathway on the land earmarked for the park and is also constructing the drain and shifting the boundary of the park reducing the park area. The Tribunal by order dated 30.11.2023 had constituted a Joint Committee and called for the report of the Joint Committee.

2. The report of the Joint Committee was considered by the Tribunal on 05.02.2024 noting that the report did not give full and clear details of the park except for referring to some letters revealing that encroachment free area of the park is 10880 sq. mtrs. and that the area of the park on which Babu Jagjivan Ram Colony is built is 7120 sq. mtrs.

3. The stand of the Counsel for the State is that there is no reliable material available about existence of park. He has also disputed the map which has been filed by the applicant. He has also submitted that no layout plan for the area exist.

4. On the examination of the record we noticed that Annexure-A1 filed along with the OA clearly mentions the park area. The report of the Joint Committee encloses the communication sent by the District Magistrate to the Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad along with certain documents which state that the encroachment free area of the park is 10880 sq. mtrs. and the area encroached by Babu Jagjivan Ram Colony is 7120 sq. mtrs. which is in line with the observations of the Joint Committee. Along with that at Page 108, there is a map enclosed depicting the park area.

5. The Municipal Corporation, Ghaziabad has also filed the report stating that on the vacant area, 21000 saplings have been planted and that in the land earmarked for park, no construction of road/drain has been done by the Ghaziabad Municipal Corporation. This plea of Ghaziabad

Municipal Corporation also reveals that the park exist.

6. We are surprised with the stand of the District Magistrate that there is no material available relating to existence of park. Hence, we have no option but to direct the Chief Secretary, State of UP to look into the matter and file an affidavit before the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF about the correctness of the stand of the District Magistrate, Ghaziabad and also the status of existence of park, its area and encroachment thereupon and the approved layout plan of Rajendra Nagar Industrial Colony as detailed above.

2– उल्लेखनीय है कि विषयगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 में अगली सुनवाई तिथि दिनांक 24.07.2024 को नियत है। इस संबंध में अवगत कराया जाना है कि विषयगत प्रकरण में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में यथावश्यक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है।

3– उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 05.07.2024 को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा विषयगत प्रकरण से संबंधित भूखण्ड का सन् 1962 का तलपट मानचित्र गहन छानबीन के उपरान्त प्राप्त कर लिया गया है। प्रकरण में बरती गयी शिथिलता हेतु जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए तत्काल यथावश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है। तत्क्रम में जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा दिनांक 16.07.2024 को संयुक्त गठित टीम द्वारा स्वीकृत तलपट मानत्रित से पार्क की पैमाईस की कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है तथा जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उक्त रिपोर्ट शासन को पत्र दिनांक 18.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) को उपलब्ध करायी गयी है।

4– जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 22.07.2024 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा सर्वसंबंधितों के साथ समीक्षा की गयी तथा विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को तत्काल प्रश्नगत प्रकरण में स्थलीय निरीक्षण कर मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के आलोक में विस्तृत रिपोर्ट तत्काल प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये है, जिसके अनुपालन में दिनांक 22.07.2024 तथा 23.07.2024 को विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन एवं जिला प्रशासन की टीम द्वारा भौतिक रूप से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही की जा रही है, जिसकी रिपोर्ट तैयार किये जाने में कुछ समय लगने की सम्भावना है।

5– अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0 में दाखिल किये जाने वाले प्रतिशपथपत्र हेतु अतिरिक्त **10 दिन** का समय प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,

Manoj 23.7.24

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

Arun Sir GO-VC

Item No.14 Court No. 1

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 710/2023
(I.A. No.835/2023)

Sushil Raghav Applicant

Versus

State of U.P. & Ors. Respondent(s)

Date of hearing: 18.04.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH SHRIVASTAVA, CHAIRPERSON
HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Rahul Choudhary, Adv. for Applicant

Respondent: Mr. Bhanwar Pal Singh Jadon, Adv. for the State of UP
Mr. Rajkumar, Mr. Ankit Chaudhary, Mr. Sumit Chaudhary, Ms. Neetu Singh, Mr. Bharat Bhushan & Ms. Vandana Sachdeva, Advs. for CPCB (Through VC)
Mr. Malak Bhatt, Mr. Shreyansh Chopra & Ms. Samridhi, Advs. for R - 11
Ms. Akriti Singh & Mr. Yagyawalkya Singh, Advs. for R - 7 (GDA)

ORDER

1. In the Original Application, the applicant has raised the grievance that there was a park earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on G.T. Road Mile 8/7, Sahibabad, Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation is undertaking the activity of construction of road/pathway on the land earmarked for the park and is also constructing the drain and shifting the boundary of the park reducing the park area. The Tribunal by order dated 30.11.2023 had constituted a Joint Committee and called for the report of the Joint Committee.

2. The report of the Joint Committee was considered by the Tribunal on 05.02.2024 noting that the report did not give full and clear details of the park except for referring to some letters revealing that encroachment

free area of the park is 10880 sq. mtrs. and that the area of the park on which Babu Jagjivan Ram Colony is built is 7120 sq. mtrs.

3. The stand of the Counsel for the State is that there is no reliable material available about existence of park. He has also disputed the map which has been filed by the applicant. He has also submitted that no layout plan for the area exist.

4. On the examination of the record we noticed that Annexure-A1 filed along with the OA clearly mentions the park area. The report of the Joint Committee encloses the communication sent by the District Magistrate to the Commissioner, Municipal Corporation, Ghaziabad along with certain documents which state that the encroachment free area of the park is 10880 sq. mtrs. and the area encroached by Babu Jagjivan Ram Colony is 7120 sq. mtrs. which is in line with the observations of the Joint Committee. Along with that at Page 108, there is a map enclosed depicting the park area.

5. The Municipal Corporation, Ghaziabad has also filed the report stating that on the vacant area, 21000 saplings have been planted and that in the land earmarked for park, no construction of road/drain has been done by the Ghaziabad Municipal Corporation. This plea of Ghaziabad Municipal Corporation also reveals that the park exist.

6. We are surprised with the stand of the District Magistrate that there is no material available relating to existence of park. Hence, we have no option but to direct the Chief Secretary, State of UP to look into the matter and file an affidavit before the Tribunal by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/ OCR Support PDF and not in the form of Image PDF about the correctness of the stand of the District Magistrate, Ghaziabad and also the status of existence of

park, its area and encroachment thereupon and the approved layout plan of Rajendra Nagar Industrial Colony as detailed above.

7. List on 24.07.2024.

Prakash Shrivastava, CP

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

April 18, 2024
Original Application No. 710/2023
(I.A. No.835/2023)
SN

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
नगर विकास अनुभाग–5,
उ0प्र0 शासन।

पत्र संख्या : 297 /एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक : 18 जुलाई, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 710/2023 (आई0ए0 नं0 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन में मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से शपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया इस कार्यालय के पत्र संख्या 291/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 16–07–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद स्थित पार्क के सम्बन्ध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 710/2023 (आई0ए0 नं0 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से शपथ पत्र दाखिल कराये जाने हेतु प्रेषित की गयी थी। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में उ0प्र0 सरकार के स्थायी अधिवक्ता से विचार विमर्श के उपरान्त कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करने हेतु पुनः स्थलीय पैमाइश करायी गयी तथा संशोधित स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट तैयार करायी गयी, जो संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है।

कृपया मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में शपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपिः

1. नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट

1. मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रिंसिपल बैन्च, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नम्बर 710/2023 सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश व अन्य में दिनांक 05–02–2024 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :–

"1- In this Original Application, grievance of the applicant was that there was a park earmarked at Rajendra Nagar Industrial Colony on GT Road Mile 8/7 Sahibabad Ghaziabad but the Ghaziabad Municipal Corporation had constructed road/pathway on the land earmarked of the park and was also constructing the drain and shifting the boundary of the park reducing the park area. The Tribunal in the proceeding dated 30-11-2023 considering the grievance of the applicant had formed a joint Commitee and direct the Commitee to submit the report.

2- The report of the joint Commitee filed on 02-02-2024 does not give full and clear details of the park except for referring to some letter revealing that the encroachment free area of the park is 10880 sq. mtrs. and the area of the park on which Babu Jagjivan Ram Colony built illegaly is 7120 sq. mtrs.

3- Respondant no. 6 District Magistrate Ghaziabad represented through the Counsel is directed to file the report/response enclosing therewith a copy of the relevant extract of the Master Plan reflecting the position of the park/area of the park and the extent of the free area and encroachment of the park and also the action taken for removal of the encroachment, if any.

4- Learned Counsel has referred to Annexure A-1 filed along with the OA, which is approved layout plan of Rajendra Nagar Industrial Colony, wherein the park has been clearly shown and its area is reflected as 14400 sq. yards. The District Magistrate should also respond to the said layout plan."

2. मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित उपरोक्त आदेश के परिपालन हेतु कार्यालय पत्र संख्या 77/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 09–04–2024 द्वारा नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद एवं सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से सन्दर्भित प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही करते हुए आख्या आहूत की गयी। मुख्य नगर नियोजक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 160 दिनांक 12–04–2024 एवं सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा अपनी आख्या पत्रांक 162/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 15–04–2024 द्वारा अवगत कराया गया कि राजेन्द्र नगर औद्योगिक कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद के प्रश्नगत लेआउट प्लान की पर्याप्त खोज प्राधिकरण के मास्टर प्लान अनुभाग के रिकार्ड रूम में करायी गयी, परन्तु प्राधिकरण और इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के समय का प्रश्नगत लेआउट प्लान रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

3. नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद द्वारा आख्या पत्र संख्या 7/न0आ0/2024 दिनांक 12–04–2024 के माध्यम से प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत

पार्क के लिए निर्धारित भूमि पर गाजियाबाद नगर निगम द्वारा सड़क/पथ का निर्माण नहीं कराया गया है और न ही नाले का निर्माण कराया गया है। गाजियाबाद नगर निगम द्वारा उक्त स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया गया है, केवल पर्यावरण के दृष्टिगत एवं खाली स्थल पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण न हो, के लिए गाजियाबाद नगर निगम द्वारा लगभग 21000 पौधों का पौधारोपण का कार्य कराया गया है। प्रश्नगत लेआउट प्लान की प्रमाणिकता एवं सक्षम स्तर से अनुपलब्धता के फलस्वरूप वादी द्वारा दाखिल मास्टर प्लान में पार्क के क्षेत्रफल 14400 वर्गगज के सम्बन्ध में आख्या दिया जाना सम्भव नहीं है।

4. मुख्य नगर नियोजक गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्या पत्र संख्या 160/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 12–04–2024 एवं सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्या पत्रांक 162/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 15–04–2024 तथा नगर आयुक्त की आख्या दिनांक 12–04–2024 उपरोक्त के आलोक में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट पत्र संख्या 64/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 15–04–2024 के माध्यम से दाखिल करायी गयी। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा प्रकरण में दिनांक 18–04–2024 को सुनवाई के उपरान्त आदेश पारित किया गया, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है :–

"We are surprised with the stand of the District Magistrate that there is no material available relating to existence of park. Hence, we have no option but to direct the Chief Secretary, State of UP to look into the matter and file an affidavit before the Tribunal by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF about the correctness of the stand of the District Magistrate, Ghaziabad and also the status of existence of park, its area and encroachment thereupon and the approved layout plan of Rajendra nagar industrial colony as detailed above. List on 24-07-2024."

5- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 18–04–2024 के क्रम में संयुक्त सचिव उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या एन0जी0टी0–124/नौ–5–2024–21 रिट/2023 दिनांक 08–05–2024 के अनुपालन में पुनः कार्यालय पत्र संख्या 184/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 07–06–2024 द्वारा नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद, सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण व अन्य से प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत अनुपालन आख्या चाही गयी। पत्र संख्या 222/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 22–06–2024 द्वारा उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित करते हुए लेआउट प्लान की उपलब्धता के सम्बन्ध में एक सप्ताह में आख्या भेजे जाने हेतु अपेक्षा की गयी। सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 605/मा0प्लान जोन–7/2024 दिनांक 05–07–2024 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद से सम्बन्धित अभिलेखों की रिकार्ड रूम में संघनता से जाँच कराये जाने के उपरान्त तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की एक प्रति प्राप्त हुई, जिस पर स्वीकृति दिनांक

01–01–1962 अंकित है। तलपट मानचित्र से सम्बन्धित पत्रावली अथवा अन्य कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुये हैं। पत्र की प्रतिलिपि नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को भी पृष्ठांकित की गयी है।

6. सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के उपरोक्त पत्र दिनांक 05–07–2024 के द्वारा तलपट मानचित्र उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद से सम्बन्धित पूर्व आख्या दिनांक 15–04–2024 द्वारा लेआउट प्लान की प्रतिलिपि उपलब्ध न होने के विरोधाभासी कथन के सम्बन्ध में पत्र संख्या 270/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 08–07–2024 द्वारा सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का स्पष्टीकरण मांगा गया। तत्क्रम में सचिव गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा पत्र संख्या 607/मा0प्लान जोन–7/2024 दिनांक 15–07–2024 के माध्यम से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद का गठन वर्ष 1977 में किया गया था, जिसके पूर्व नियत प्राधिकारी द्वारा गाजियाबाद क्षेत्र के मानचित्रों की स्वीकृति इत्यादि का कार्य किया जाता था और उससे सम्बन्धित दस्तावेजों का रख–रखाव तत्समय सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा किया जाता था। राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी का प्रकरण महत्वपूर्ण होने के कारण रिकार्ड रूम में अतिरिक्त कर्मचारियों की टीम द्वारा सघन जाँच करायी गयी, परन्तु राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त नहीं हो सके। रिकार्ड रूम में राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी से सम्बन्धित अभिलेखों की लगातार खोजबीन जारी रखी गयी, कर्मचारियों की टीम परिवर्तित करते हुए निरन्तर ढूंढने का कार्य किया जाता रहा। चूंकि अभिलेख मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था, अतः राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच हेतु मास्टर प्लान अनुभाग के अभियन्ताओं के साथ अन्य कर्मचारियों की टीम को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही रिकार्ड रूम के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की टीम को भी पृथक से पूर्व से ही कार्य हेतु नियुक्त टीम के साथ रिकार्ड रूम में अभिलेखों को ढूंढने हेतु नियुक्त किया गया। मेरे द्वारा रिकार्ड रूम में स्वयं कई बार भी जाँच टीम के कार्यों का पर्यवेक्षण किया गया था। टीम द्वारा दिन प्रतिदिन प्रत्येक रैक एवं बस्तों की तथा खुले दस्तावेजों की बारीकी से जाँच करते हुए प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा लगभग दो माह के अन्तराल में रिकार्ड रूम के लगभग सभी पत्रावलियों को पृष्ठवार पृथक–पृथक देखने के उपरान्त प्राप्त अभिलेख प्रस्तुत किये गये हैं। रिकार्ड रूम से अभिलेख के रूप में मात्र सन्दर्भित कालोनी का तलपट मानचित्र की एक प्रति प्राप्त हुई, जिसे हस्तगत कराया गया।

इस प्रकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ओर से प्रेषित आख्या में राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद से सम्बन्धित लेआउट प्लान रिकार्ड रूम में उपलब्ध न होने की जानकारी दी गयी थी, जिसके आधार पर जिलाधिकारी गाजियाबाद की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट दिनांक 15–04–2024 को प्रेषित की गयी थी।

7. कार्यालय पत्र संख्या 269/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 08–07–2024 के माध्यम से प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद से सम्बन्धित उपलब्ध कराये गये लेआउट

प्लान के अनुसार मौके पर कार्यवाही कराकर आख्या तीन दिवस में उपलब्ध कराने हेतु पत्र नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को भेजा गया।

नगर आयुक्त नगर निगम द्वारा पत्र संख्या 269/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 08-07-2024 के अनुपालन में नगर निगम एवं राजस्व विभाग की टीम का गठन करते हुए राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद स्थित पार्क के सम्बन्ध में योजित ओ0ए0 संख्या 710/2023 (आई0ए0 संख्या 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18-04-2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। स्थलीय निरीक्षण एवं सीमांकन के उपरान्त आख्या पत्र संख्या 185/न0आ0/2024-25 दिनांक 15-07-2024 प्रेषित किया गया था, जिस पर एन0जी0टी0 में उ0प्र0 सरकार के स्टैंडिंग काउन्सिल से विचार विमर्श करने के उपरान्त कुछ बिन्दुओं को स्पष्ट करने के लिए संयुक्त टीम द्वारा पुनः स्थल निरीक्षण एवं सीमांकन का कार्य किया गया एवं आख्या पत्र संख्या 190/न0आ0/2024-25 दिनांक 16-07-2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी। आख्या में अवगत कराया गया है कि राजस्व व नगर निगम की गठित टीम द्वारा अभिलेखीय एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त पार्क की भूमि ग्राम साहिबाबाद में निजी खाता धारक (प्रताप चंद पुत्र ठाकुरदास) के नाम संक्रमणीय भूमिधर (श्रेणी-1क) दर्ज है।

राजस्व विभाग व नगर निगम की टीम द्वारा सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05-07-2024 के साथ संलग्न राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी जी०टी० रोड़ साहिबाबाद (गाजियाबाद) का तत्कालीन विहित प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की प्रति, जिस पर स्वीकृति दिनांक 01-01-1962 अंकित है, की प्रति प्राप्त करके स्थल पर आवश्यक पैमाईश का कार्य किया गया तथा स्थल का पृथक-पृथक दो प्रतियों में नजरी-नक्शा तैयार कर पैमाईश अंकित की गयी, जो इस आख्या का अंश रहेगा। सर्वप्रथम अवलोकन से विदित है कि तलपट मानचित्र स्केल पर बनाया गया है, जिसके स्केल में 1 इंच मानचित्र पर 82.5 फुट के बराबर है जिसकी पुष्टि 60 फुट चौड़ी रोड पर पैमाना रखकर की गयी, नक्शे पर रोड की चौडाई पैमाने में 3/4 इंच है, जो 60 फीट दर्शाती है तथा मौके पर भी 60 फीट चौडी पायी गयी। नक्शें में अंकित पार्क का क्षेत्रफल 14400 वर्गगज (12040.2 वर्ग मीटर) है। इसी माप को आधार मानकर संलग्नक-1 में नक्शा प्रदर्शित किया गया है, जिसमें स्केल के अनुसार सभी भुजाओं की माप की गयी है, जिसमें भुजाओं की लम्बाई निम्नवत है:-

भुजा	मानचित्र पर भुजा की लम्बाई (इंच में)
1	2
AB	3.25
BC	5.125
CD	1.5625
DE	0.4375
EF	1.375
FA	6.06

Q

तत्पश्चात मौके पर पैमाईश का कार्य किया गया जिसकी माप संलग्न नजरी–नक्शे (संलग्नक–2) में अंकित की गयी है जिसकी भुजाओं का विवरण निम्नवत है:–

भुजा	लम्बाई (मीटर में)	भुजा	लम्बाई (मीटर में)
AB	82.5	BC	12.5
CD	83.5	DN	8.2
NI	78.1	IH	50.1
IJ	25	JK	47.7
KH	25.1	HG	28
GF	11.8	FE	10.1
ED	11.8	GD	10.1
BN	83.61		

संलग्नक–2 में प्रदर्शित अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रफल वाली भूमि 9940.8 वर्ग गज (8311.8 वर्गमीटर) तथा 1033.6 वर्ग गज (864.2 वर्ग मीटर) फैक्ट्री संचालकों द्वारा रास्ते में अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। शेष क्षेत्रफल 3425.3 वर्ग गज (2864 वर्ग मीटर) में सघन आबादी बनी हुयी है जिसमें निर्बल आय वर्ग के व्यक्ति छोटे–छोटे मकानों में लगभग 40 वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहे हैं। स्थल पर पार्क के उत्तर दिशा की ओर फैक्ट्री संचालकों द्वारा पार्क की भूमि में से वर्तमान में 1033.6 वर्गगज (864.2 वर्ग मीटर) भूमि पर अवैध रूप से रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जो स्वीकृत तलपट मानचित्र में नहीं है। साक्ष्य स्वरूप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र/ले–आउट प्लान की प्रति संलग्न है।

इस प्रकार उक्त पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनी का क्षेत्रफल 3425.3 वर्गगज (2864 वर्ग मीटर) तथा पार्क की भूमि में से बने हुये अवैध रास्ता क्षेत्रफल 1033.6 वर्गगज (864.2 वर्ग मीटर) है। शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है। स्थल का नजरी नक्शा संलग्न है।

8. नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद द्वारा प्रेषित आख्या पत्र संख्या 190/न0आ0/2024–25 दिनांक 16–07–2024 के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या 296/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 18–07–2024 द्वारा पार्क को पुर्नस्थापित करने के निर्देश दिये गये हैं।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION
दूरभाषः 0120&2790425] 2713580 ई–मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com
पत्रांकः 190/न0आ0/2024–25 दिनांकः 16/07/24

प्रेषक

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम
गाजियाबाद।

सेवा में

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

विषयः–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या–710/2023 (आई0ए0नं0 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांकः–269/एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 08.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) के कम में पूर्व में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा अपने कार्यालय पत्र संख्याः–185/न0आ0/2024–25 दिनांक 15.07.2024 के द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में मा0 स्थायी अधिवक्ता से हुयी वार्ता के कम में प्रकरण की संयुक्त आख्या मय नजरी–नक्शा इस पत्र के साथ संलग्न कर पुनः आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय

16/7/24

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या:–710/2023 (आई0ए0 संख्या 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.06.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में स्थायी अधिवक्ता महोदय के द्वारा दिये गये सुझाव के कम में दिनांक 16.07.2024 को पुनः स्थलीय एवं अभिलेखीय निरीक्षण किया गया।

उक्त के सम्बन्ध में गठित टीम द्वारा राजस्व व नगर निगम की टीम के साथ अभिलेखीय एवं स्थलीय निरीक्षण किया गया। उक्त पार्क की भूमि ग्राम साहिबाबाद में निजी खाता धारक (प्रताप चंद पुत्र ठाकुरदास) के नाम संकमणीय भूमिधर (श्रेणी–1क) दर्ज है।

राजस्व विभाग व नगर निगम की टीम द्वारा सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05.07.2024 के साथ संलग्न राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी जी०टी० रोड़ साहिबाबाद (गाजियाबाद) का तत्कालीन विहित प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की प्रति, जिस पर स्वीकृति दिनांक 01.01.1962 अंकित है, की प्रति प्राप्त करके स्थल पर आवश्यक पैमाईश का कार्य किया गया तथा स्थल का पृथक–पृथक दो प्रतियों में नजरी–नक्शा तैयार कर पैमाईश अंकित की गयी, जो इस आख्या का अंश रहेगा। सर्वप्रथम अवलोकन से विदित है कि तलपट मानचित्र स्केल पर बनाया गया है, जिसके स्केल में 1 इंच मानचित्र पर 82.5 फुट के बराबर है जिसकी पुष्टि 60 फुट चौड़ी रोड पर पैमाना रखकर की गयी, नक्शे पर रोड की चौडाई पैमाने में 3/4 इंच है, जो 60 फीट दर्शाती है तथा मौके पर भी 60 फीट चौडी पायी गयी। नक्शे में अंकित पार्क का क्षेत्रफल 14400 वर्गगज (12040.2 वर्ग मीटर) है। इसी माप को आधार मानकर **संलग्नक–1** में नक्शा प्रदर्शित किया गया है जिसमें स्केल के अनुसार सभी भुजाओं की माप की गयी है जिसमें भुजाओं की लम्बाई निम्नवत हैः–

भुजा	मानचित्र पर भुजा की लम्बाई (इंच में)
1	2
AB	3.25
BC	5.125
CD	1.5625
DE	0.4375
EF	1.375
FA	6.06

तत्पश्चात मौके पर पैमाईश का कार्य किया गया जिसकी माप संलग्न नजरी–नक्शे (संलग्नक–2) में अंकित की गयी है जिसकी भुजाओं का विवरण निम्नवत है:–

भुजा	लम्बाई (मीटर में)	भुजा	लम्बाई (मीटर में)
AB	82.5	BC	12.5
CD	83.5	DN	8.2
NI	78.1	IH	50.1
IJ	25	JK	47.7
KH	25.1	HG	28
GF	11.8	FE	10.1
ED	11.8	GD	10.1
BN	83.61		

संलग्नक–2 में प्रदर्शित अतिक्रमण मुक्त क्षेत्रफल वाली भूमि 9940.8 वर्ग गज (8311.8 वर्गमीटर) तथा 1033.6 वर्ग गज (864.2 वर्ग मीटर) फैक्ट्री संचालकों द्वारा रास्ते में अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है एवं शेष क्षेत्रफल 3425.3 वर्ग गज (2864 वर्ग मीटर) में सघन आबादी बनी हुयी है जिसमें निर्वल आय वर्ग के व्यक्ति छोटे–छोटे मकानों में लगभग 40 वर्ष से अधिक समय से निवास कर रहे हैं। स्थल पर पार्क के उत्तर दिशा की ओर फैक्ट्री संचालकों द्वारा पार्क की भूमि में से वर्तमान में 1033.6 वर्गगज (864.2 वर्ग मीटर) भूमि पर अवैध रूप से रास्ते के रूप में प्रयोग किया जा रहा है जो स्वीकृत तलपट मानचित्र में नहीं है। साक्ष्य स्वरूप गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र/ले–आउट प्लान की प्रति संलग्न है।

इस प्रकार उक्त पार्क की भूमि पर अवैध कॉलोनी का क्षेत्रफल 3425.3 वर्गगज (2864 वर्ग मीटर) तथा पार्क की भूमि में से बने हुये अवैध रास्ता क्षेत्रफल 1033.6 वर्गगज (864.2 वर्ग मीटर) है। शेष भूमि अतिक्रमण मुक्त है। स्थल का नजरी नक्शा संलग्न है।

उपरोक्तानुसार आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित है।

(सुरेन्द्र सिंह)
लेखपाल
तहसील सदर
गाजियाबाद

(गजेन्द्र सिंह)
राजस्व निरीक्षक,
तहसील सदर
गाजियाबाद

(सुरेन्द्र कौशिक)
राजस्व निरीक्षक (आ0सौ0)
गाजियाबाद नगर निगम

(विश्वनाथ सिंह)
तहसीलदार (आ0सौ0)
गाजियाबाद नगर निगम

(रवि कुमार सिंह)
तहसीलदार सदर
गाजियाबाद

(पल्लवी सिंह)
सहायक नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम

(अरूण दीक्षित) 16/07/24
उपजिलाधिकारी
गाजियाबाद

(अरूण कुमार)
अपर नगर आयुक्त,
गा0बाद नगर निगम

APPROVED LAYOUT PLAN OF RAJENDER NAGAR INDUSTRIAL COLONY OB G.T.ROAD MILE $\frac{8}{7}$ V. SAHIBABAD TEH: GHAZIABAD

SCALE I' = 82.5'

POINT	DIMENSION IN MAP
1	2
AB	3.25
BC	5.125
CD	1.5625
DE	0.4375
EF	1.375
FA	6.06

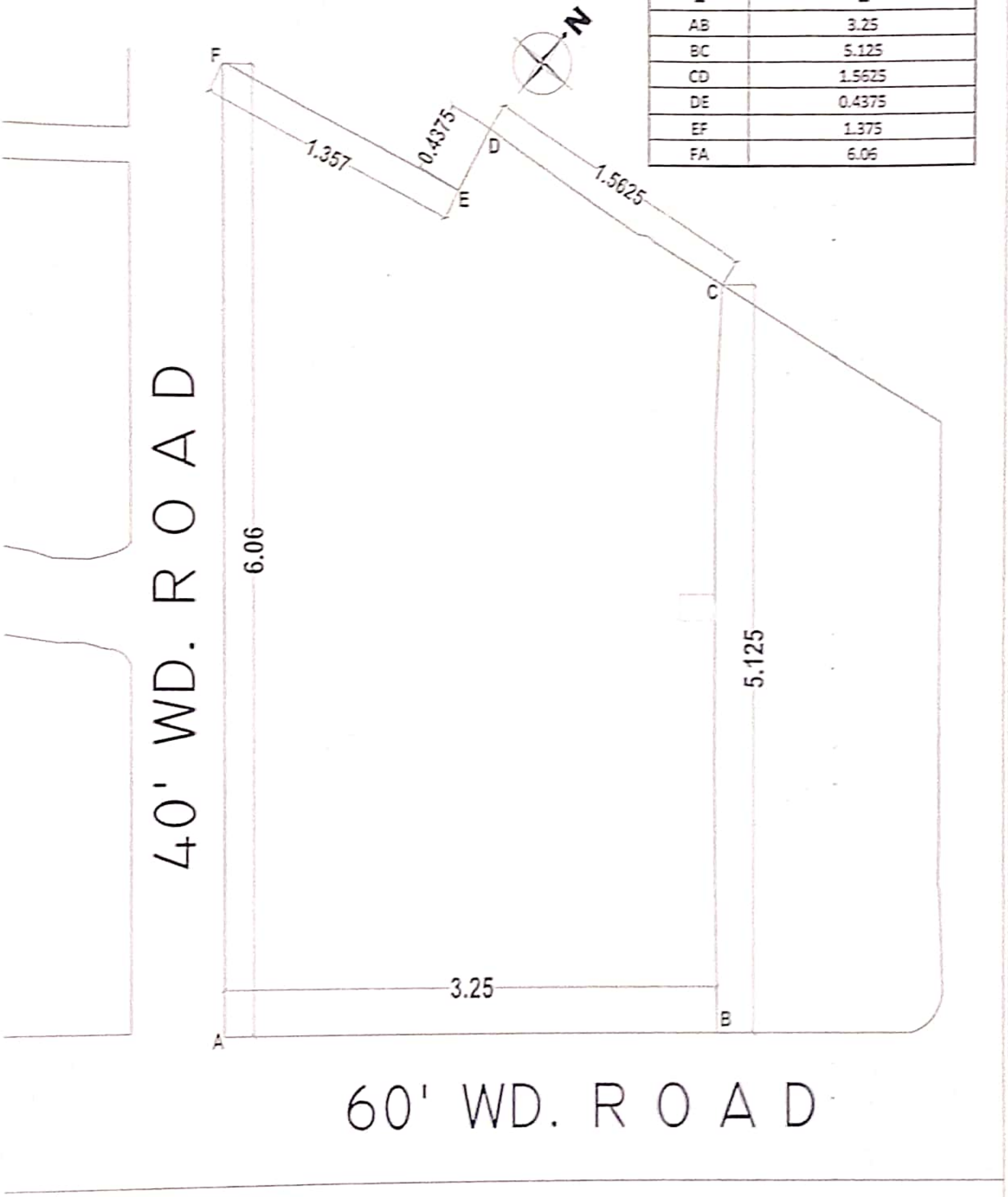

संलग्नक - 02

NAJARI NAKSHA BABU JAGJEEVAN RAM PARK RAJENDER NAGAR INDUSTRIAL AREA GHAZIABAD

ALL DIMENSION ARE IN METER

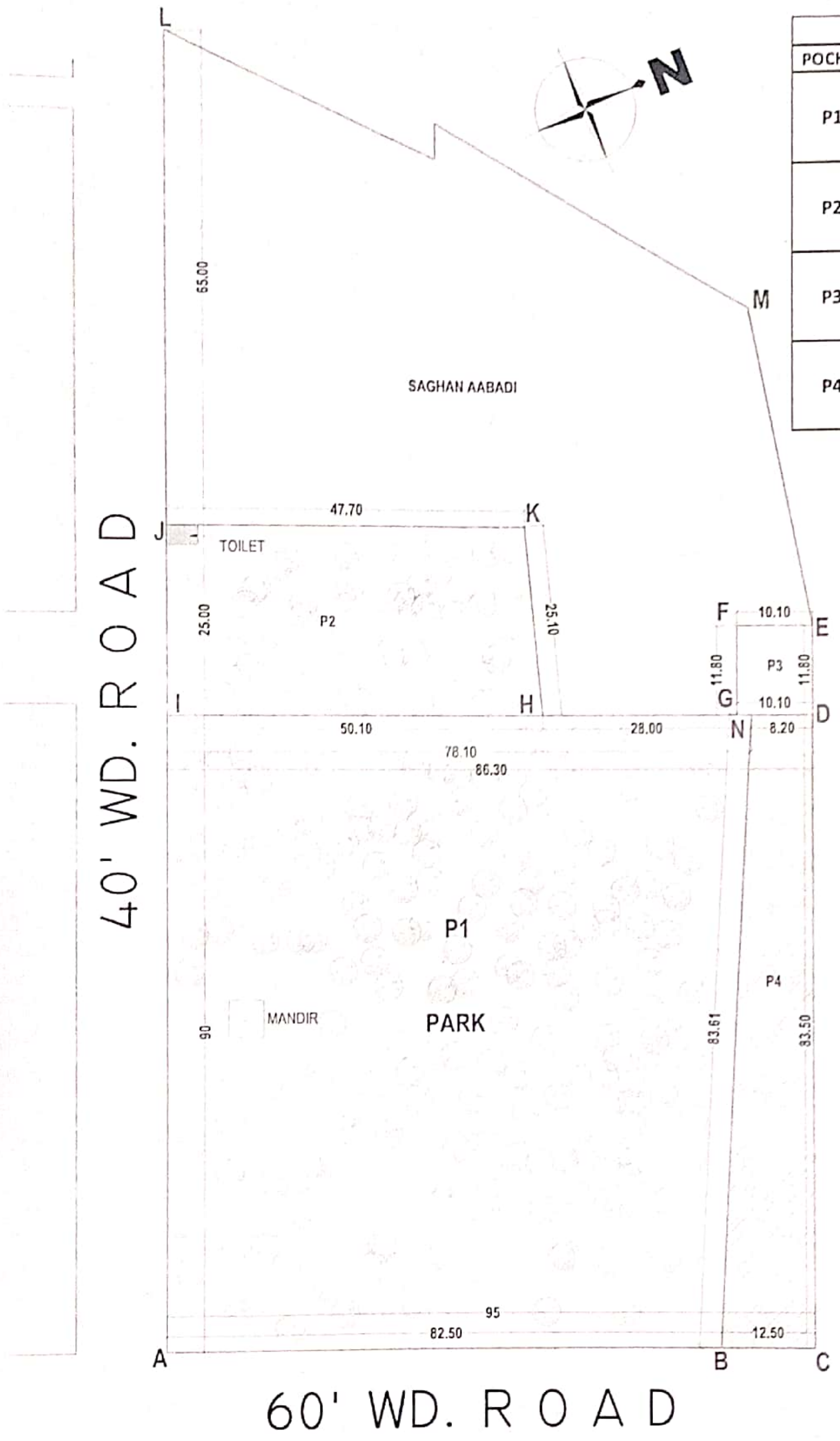

FEALD BOOK AND CALCULATION

POCKET	POINT	DIMENSSION	AREA
P1	A-B	82.5	6970 SQ.MT
	B-N	83.61	
	N-I	78.1	
	I-A	90	
P2	H-I	50.1	1222.62 SQ.MT
	I-J	25	
	J-K	47.7	
	K-H	25.1	
P3	D-E	11.8	119.18 SQ.MT
	E-F	10.1	
	F-G	11.8	
	G-D	10.1	
P4	B-C	12.5	864.225 SQ.MT
	C-D	83.5	
	D-N	8.2	
	N-B	83.61	

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद

पत्रांकः 296 /एस0टी0–डी0एम0/गा0बाद/2024 दिनांकः 18 जुलाई, 2024

नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 710/2023 (आई0ए0 नं0–835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–4–2024 के कम में पार्क के पुनर्स्थापना के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–4–2024 का सन्दर्भ लें, जिसके कम में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत मानचित्र की पुष्टि करते हुए तलपट मानचित्र की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जिसके आधार पर आप द्वारा अपने पत्र संख्या 190/न0आ0/2024–25 दिनांक 16–7–2024 द्वारा उपलब्ध करायी गयी जॉच आख्या में वर्णित पार्क की वर्तमान स्थिति एवं क्षेत्रफल का उल्लेख किया गया है। जिसे जी0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये तलपट मानचित्र एवं नगर निगम की आख्या के आलोक में पार्क का पुनर्स्थापन किया जाना आवश्यक है, जिससे मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–4–2024 का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

अतः उक्त कम में निर्देशित किया जाता है कि नगर निगम अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार पार्क को पुनर्स्थापित करने की कार्यवाही सुनिश्चित कराकर कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या एन0जी0टी0–124/नौ–5–2024–21रिट/2023 दिनांक 08–5–2024 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

सेवा में,

संयुक्त सचिव,
नगर विकास अनुभाग–5,
उ0प्र0 शासन।

पत्र संख्या : 291 /एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक : 16 जुलाई, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 710/2023 (आई0ए0 नं0 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन में मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से शपथ पत्र दाखिल किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 710/2023 (आई0ए0 नं0 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रियल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद स्थित पार्क के लेआउट प्लान, पार्क की स्थिति, क्षेत्रफल एवं उस पर अतिक्रमण के सम्बन्ध में मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से शपथ पत्र दाखिल किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निर्देश के क्रम में स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट तैयार कर संलग्नकों सहित प्रेषित की जा रही है।

कृपया मा0 मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की ओर से मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में शपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION
दूरभाषः 0120-2790425, 2713580 ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 185/न0आ0/2024-25 दिनांकः 15/7/24

प्रेषक

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम
गाजियाबाद।

सेवा में

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

विषयः—मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या-710/2023 (आई0ए0नं0 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू.पी. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्धं में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांकः-269/एस0टी0-डी0एम0/2024 दिनांक 08.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05.07.2024 के द्वारा प्रश्नगत ओ0ए0 में राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी, जी0टी0 रोड़, साहिबाबाद, गाजियाबाद का तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा वर्ष-1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की एक प्रति जिस पर स्वीकृति दिनांक 01.01.1962 अंकित है, के परिप्रेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी0 में अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.07.2024 से पूर्व मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन का शपथ-पत्र मा0 अधिकरण में दाखिल होना है। तदनुसार प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत जी0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये तलपट मानचित्र/ले-आऊट प्लान के अनुसार मौकें पर अविलम्ब कार्यवाही कराकर आख्या तीन दिवस में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

अतः आप द्वारा वांछित सुस्पष्ट स्थलीय संयुक्त आख्या मय नजरी-नक्शा इस पत्र के साथ संलग्न कर आपकी सेवा में प्रेषित है।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय

15/7/24

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।
OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION
दूरभाषः 0120-2790425, 2713580
ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 153/न0आ0/2024
दिनांकः 08/07/2024

1. श्री अरूण कुमार यादव, अपर नगर आयुक्त/वरि0प्र0सम्पत्ति
2. श्री अरूण दीक्षित, उप जिलाधिकारी-सदर
3. श्रीमती पल्लवी सिंह, सहायक नगर आयुक्त/प्र0सम्पत्ति,
4. श्री रवि सिंह, तहसीलदार-सदर,
5. श्री रामशंकर, सम्पत्ति अधीक्षक

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 सं0 710/2023 (आई0ए0नं0 835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्र सं0 269/एस0टी0-डी0एम0/2024 दिनांक 08.07.2024 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करें जिसमें सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण के पत्र दिनांक 05.07.2024 के द्वारा प्रश्नगत ओ0ए0 में राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रीयल कालोनी, जी0टी0रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद का तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा वर्ष-1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की एक प्रति जिस पर स्वीकृति दिनांक 01.01.1962 अंकित है, के परिपेक्ष्य में मा0 एन0जी0टी. में अग्रिम सुनवाई दिनांक 24.07.2024 से पूर्व मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन का शपथ-पत्र मा0 अधिकरण में दाखिल होना है। तदनुसार प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत जी0डी0ए0 द्वारा उपलब्ध कराये गये तलपट मानचित्र/ले-आउट प्लान के अनुसार मौके पर अविलम्ब कार्यवाही कराकर आख्या 03 दिवस में उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रीयल कालोनी, जी0टी0रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद की पूर्व में तहसील स्तर से की गयी स्थलीय जांच आख्या दिनांक 06.06.2023 के अनुसार प्रश्नगत स्थल पर अतिक्रमण मुक्त पार्क क्षेत्रफल 10880 वर्ग मीटर अर्थात (13012.48 वर्ग गज) अंकित है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये स्वीकृत तलपट मानचित्र/ले-आउट प्लान के अनुसार पार्क का क्षेत्रफल 14400 वर्ग गज अंकित है तथा तहसील स्तर से किये गये स्थलीय निरीक्षण अनुसार मौके पर अतिक्रमण मुक्त पार्क का क्षेत्रफल 10880 वर्ग मीटर अर्थात (13012.48 वर्ग गज है)। इस प्रकार 1387.52 वर्ग गज क्षेत्रफल का अन्तर स्वीकृत मानचित्र व स्थलीय आख्या में प्रतीत हो रहा है।

अतः उपरोक्तानुसार आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि आप संयुक्त रूप से प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर वाद की गम्भीरता के दृष्टिगत प्रत्येक दशा में 02 दिवस के अन्दर सुस्पष्ट स्थलीय आख्या उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः-यथोक्त।

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

प्रतिलिपिः-जिलाधिकारी महोदय को उनके पत्र दिनांक 08.07.2024 के क्रम में सादर सूचनार्थ।

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

I.S.O.-9001-2015 एवं I.S.0.-14001-2015 प्रमाणित संस्था

पत्रांक : 607/म्या०प्ला०/जोन-7/2024 दिनांक : 15/7/2024

No.- 36 ... Adm (E) / ADM/L.A.

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

DM
15/07

विषय– **मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया स्वकीय पत्र सं0–270 / एस0टी0–डी0एम0 / 2024 दिनांक 08 जुलाई 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि पूर्व में रिकार्ड रूम के समस्त बस्ते एवं पत्राविलयों की जांच कराये जाने के उपरान्त पत्रावली प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पत्र सं0–164 / नियोजन अनुभाग / 2024 दिनांक 15.04.2024 के माध्यम से महोदय को सूचना प्रेषित की गयी थी।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद का गठन वर्ष 1977 में किया गया था, जिसके पूर्व नियत प्राधिकारी द्वारा गाजियाबाद क्षेत्र के मानचित्रों की स्वीकृति इत्यादि का कार्य किया जाता था, जिससे सम्बन्धित दस्तावेजों का रख रखाव तत्समय सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा किया जाता था। राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी का प्रकरण महत्वपूर्ण होने के कारण रिकार्ड रूम में अतिरिक्त कर्मचारियों की टीम द्वारा सघन जांच करायी गयी, परन्तु राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी से सम्बन्धित अभिलेख प्राप्त नहीं हो सके। रिकार्ड रूम में राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी से सम्बन्धित अभिलेखों की लगातार खोज–बीन जारी रखी गयी, कर्मचारियों की टीम परिवर्तित करते हुये निरंतर ढूंढने का कार्य किया जाता रहा। चूंकि अभिलेख मा0 हरित न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। अतः राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी के सम्बन्धित अभिलेखों की जांच हेतु मास्टर प्लान अनुभाग के अभियन्ताओं के साथ अन्य कर्मचारियों की टीम को नियुक्त किया गया। इसके साथ ही रिकार्ड रूम के अवकाश प्राप्त कर्मचारियों की टीम को भी पृथक से पूर्व से कार्य हेतु नियुक्त टीम के साथ ही रिकार्ड रूम में राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कालोनी के अभिलेखों को ढूंढने हेतु नियुक्त किया गया। मेरे द्वारा रिकार्ड रूम में कई बार स्वयं भी जांच टीम के कार्यो का पर्यवेक्षण किया गया था। समस्त टीम द्वारा दिन–प्रतिदिन प्रत्येक रैक एवं बस्तों की तथा खुले दस्तावेजों की बारीकी से जांच करते हुये, प्राधिकरण के कर्मचारियों द्वारा गत लगभग दो माह के अन्तराल में रिकार्ड रूम के लगभग सभी पत्रावलियों को पृष्ठवार पृथक–पृथक देखने के उपरान्त प्राप्त अभिलेख प्रस्तुत किये गये है। रिकार्ड रूम से अभिलेख के रूप में मात्र संदर्भित कालोनी के तलपट मानचित्र की एक प्रति प्राप्त करते हुये हस्तगत कराया गया, जिसकी छायाप्रति महोदय को सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रेषित की जा रही है।

No. 1580/ST- ADM(E)
ADM Sh. Chandresh

भवदीय,

(हस्ताक्षर) 12/7/24

(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

ADM-E
16/7

पृ0सं0– दिनांक :

प्रतिलिपि–उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

सचिव

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

पत्र संख्या : 270 /एस0टी0–डी0एम0/[illegible]/2024 दिनांक : 08 जुलाई, 2024

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

विषय : **मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–710/2023 (आई.ए. नं0–835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के सम्बन्ध में।**

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अपने पत्र संख्या–605/मा0 प्लान जोन–7/2024 दिनांक 05–07–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–710/2023 (आई.ए. नं0–835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रीयल कॉलोनी, जी0टी0 रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद का तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की मात्र एक प्रति प्राप्त हुई, जिस पर स्वीकृति दिनांक 01–01–1962 अंकित है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत है कि आपके द्वारा अपने पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–164/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 15–04–2024 में सूचित किया गया था कि राजेन्द्रनगर औद्योगिक कॉलोनी साहिबाबाद के प्रश्नगत ले–आउट प्लान की प्राधिकरण के मास्टर प्लान अनुभाग के रिकार्ड रूम में पर्याप्त खोज करायी गयी, परन्तु प्राधिकरण और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के समय का प्रश्नगत ले–आउट प्लान रिकार्ड रूम में उपलब्ध नही हो पा रहा है। आपके उक्त कथन के आधार पर उपरोक्त वाद में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को वस्तुस्थिति से अवगत कराया गया था, जिसके परिप्रेक्ष्य में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने अपने आदेश दिनांक 18–04–2024 के द्वारा मुख्य सचिव महोदय, उत्तर प्रदेश शासन को शपथ पत्र दाखिल कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके द्वारा पूर्व प्रेषित पत्र संख्या–संख्या–162/नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 15–04–2024 एवं पत्र संख्या–605/मा0 प्लान जोन–7/2024 दिनांक 05–07–2024 में अंकित आख्याओं में भिन्नता है और यह स्थिति उचित नही है। साथ ही यह दर्शाता है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित अति महत्वपूर्ण प्रकरणों में शिथिलता बरती जा रही है। अतः आप स्पष्ट करें कि पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 15–04–2024 में गलत सूचना किन कारणों से प्रेषित की गयी। आप अपना स्पष्टीकरण तत्काल/लौटती डाक से अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित करें। अन्यथा की स्थिति में प्रतिकूल संज्ञान लिया जायेगा।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि : उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE GHAZIABAD

फोन नम्बर (0120) 2821616, 2820106, 2828798 (फैक्स)

पत्र संख्या : 265 /एस0टी0–डी0एम0/ /2024 दिनांक : 08 जुलाई, 2024

नगर आयुक्त,
नगर निगम, गाजियाबाद।

विषय : मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–710/2023 (आई.ए. नं0–835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद के पत्र संख्या–605/मा0 प्लान जोन–7/2024 दिनांक 05–07–2024 जो अधोहस्ताक्षरी को सम्बोधित है तथा प्रतिलिपि आपको प्रेषित है, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0–710/2023 (आई.ए. नं0–835/2023) सुशील राघव बनाम स्टेट आफ यूपी व अन्य के परिप्रेक्ष्य में अवगत कराया गया है कि राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रीयल कॉलोनी, जी0टी0 रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद का तत्कालीन नियत प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की मात्र एक प्रति प्राप्त हुई, जिस पर स्वीकृति दिनांक 01–01–1962 अंकित है।

अवगत कराना है कि प्रश्नगत वाद में याची द्वारा राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रीयल कॉलोनी, जी0टी0 रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद स्थित पार्क का क्षेत्रफल सड़क/पाथवे, ड्रेन एवं बाउण्ड्रीवाल की शिफ्टिंग करके कम किये जाने की शिकायत की गयी है, जिसके सम्बन्ध में आप द्वारा ले–आउट प्लान की मॉग गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से की गयी थी। वर्तमान में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ले–आउट प्लान उपलब्ध करा दिया गया है। प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में अगली सुनवाई दिनांक 24–07–2024 नियत है और नियत तिथि से पूर्व, मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 शासन का शपथ पत्र मा0 न्यायाधिकरण में दाखिल होना है। वर्तमान में प्रकरण में कार्यवाही नगर निगम द्वारा अपेक्षित है।

अतः प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत अपेक्षा की जाती है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराये गये राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रीयल कॉलोनी, जी0टी0 रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद के ले–आउट प्लान के अनुसार मौके पर तत्काल/अविलम्ब कार्यवाही कराकर आख्या 03 दिवस में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जाये।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

प्रतिलिपि : संयुक्त सचिव, नगर निकास अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन को उनके पत्र संख्या–एन0जी0टी0–124/नौ–5–2024–21रिट/2023 दिनांक 08–05–2024 के कम में सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद

संख्या 605/मा० प्लान जोन-7/2024 दिनांक 5/7/2024

प्रेषक,

राजेश कुमार सिंह
सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

विषयः–माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय पत्रांक–184/एस०टी०–डी०एम०/2024 दिनांक 07.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। महोदय के निर्देशों के अनुसार राजेन्द्रनगर इण्डस्ट्रियल कॉलोनी, जी०टी० रोड साहिबाबाद, गाजियाबाद से सम्बन्धित अभिलेखों को रिकार्ड रूम की सघनता से जाँच कराये जाने के उपरान्त, वर्तमान में नियत प्राधिकारी द्वारा वर्ष 1962 में स्वीकृत तलपट मानचित्र की मात्र एक प्रति प्राप्त हुई, जिस पर स्वीकृति दिनांक 01.01.1962 अंकित है। तलपट मानचित्र से सम्बन्धित पत्रावली अथवा अन्य कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुए हैं। अतः प्राप्त राजेन्द्रनगर, इण्डस्ट्रियल कालोनी जी०टी० रोड, साहिबाबाद गाजियाबाद का नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत तलपट मानचित्र पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया उपरोक्तानुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

RK 5/7/24
(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन : दिनांक :

प्रतिलिपि–1–उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

2– नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

सचिव

APPROVED LAY OUT PLAN OF RAJENDRA NAGAR INDUSTRIAL COLONY ON G.T. ROAD MILE 8/7 V. SAHIBABAD TEH: GHAZIABAD

SCALE 82½ FT: 1"

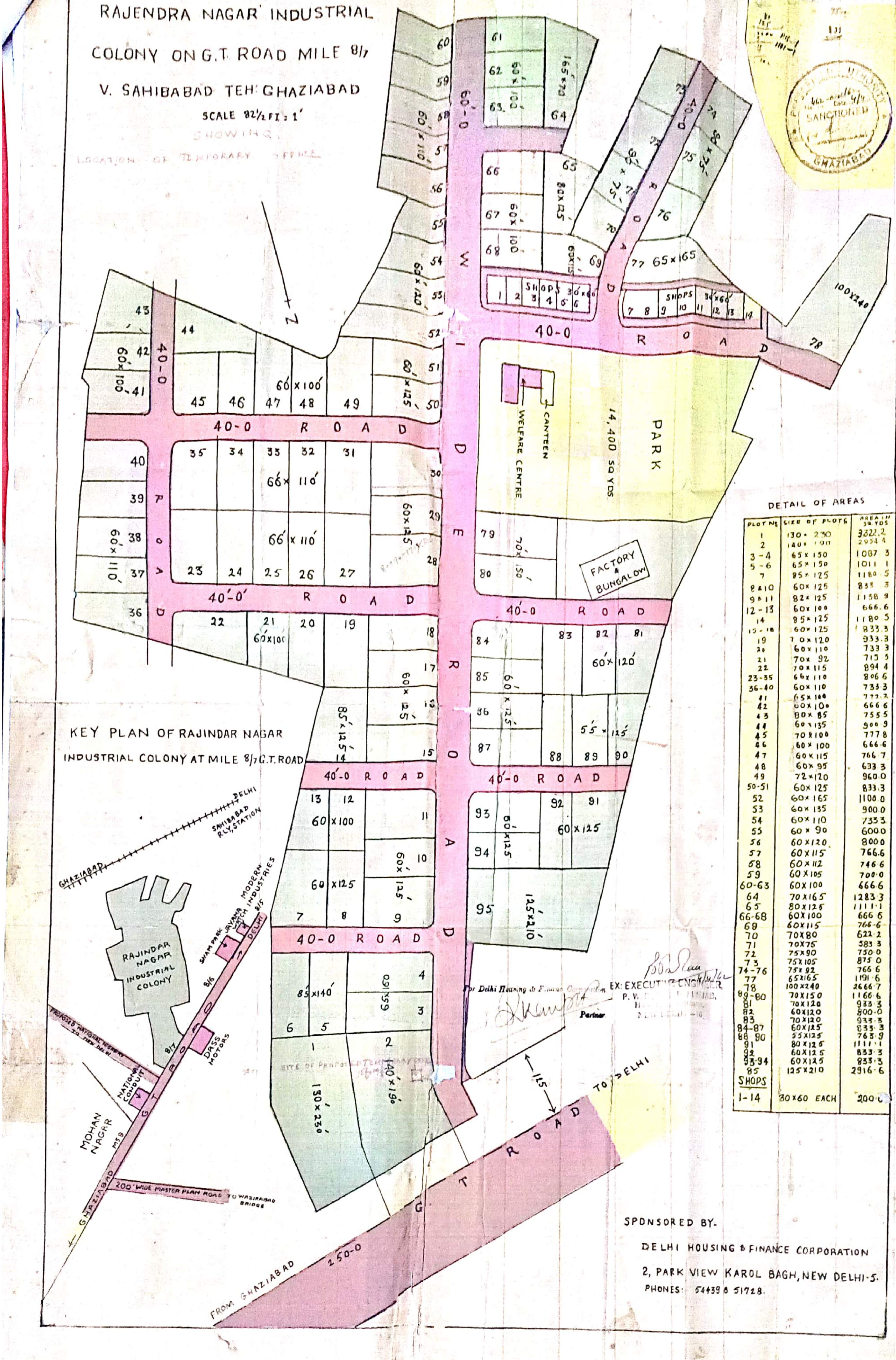

DETAIL OF AREAS

PLOT No.	SIZE OF PLOTS	AREA IN SQ. YDS
1	130 × 230	3322.2
2	140 × 190	2954.4
3 - 4	65 × 150	1087.3
5 - 6	65 × 150	1011.1
7	85 × 125	1180.5
8 & 10	60 × 125	833.3
9 & 11	82 × 125	1138.9
12 - 13	60 × 100	666.6
14	85 × 125	1180.5
15 - 18	60 × 125	833.3
19	70 × 120	933.3
20	60 × 110	733.3
21	70 × 92	715.5
22	70 × 115	894.4
23 - 35	66 × 110	806.6
36 - 40	60 × 110	733.3
41	65 × 100	722.2
42	60 × 100	666.6
43	80 × 85	755.5
44	60 × 135	900.9
45	70 × 100	777.8
46	60 × 100	666.6
47	60 × 115	766.7
48	60 × 95	633.3
49	72 × 120	960.0
50-51	60 × 125	833.3
52	60 × 165	1100.0
53	60 × 135	900.0
54	60 × 110	733.3
55	60 × 90	600.0
56	60 × 120	800.0
57	60 × 115	766.6
58	60 × 112	746.6
59	60 × 105	700.0
60-63	60 × 100	666.6
64	70 × 165	1283.3
65	80 × 125	1111.1
66-68	60 × 100	666.6
69	60 × 115	766.6
70	70 × 80	622.2
71	70 × 75	583.3
72	75 × 90	750.0
73	75 × 105	875.0
74-76	75 × 92	766.6
77	65 × 165	1191.6
78	100 × 240	2666.7
79-80	70 × 150	1166.6
81	70 × 120	933.3
82	60 × 120	800.0
83	70 × 120	933.3
84-87	60 × 125	833.3
88-90	55 × 125	763.9
91	80 × 125	1111.1
92	60 × 125	833.3
93-94	60 × 125	833.3
95	125 × 210	2916.6
SHOPS 1-14	30 × 60 EACH	200.0

For Delhi Housing & Finance Corporation

Partner

EX: EXECUTIVE ENGINEER, P.W.D. ... NEW DELHI-10.

SPONSORED BY.

DELHI HOUSING & FINANCE CORPORATION

2, PARK VIEW KAROL BAGH, NEW DELHI-5.

PHONES: 54439 & 51728.

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

संख्या–222 /एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांक 22 जून, 2024

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या– 710/2023, सुशील राघव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपार्युक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली में श्री सुशील राघव द्वारा ओ0ए0 संख्या– 710/2023, सुशील राघव बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य योजित किया है जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 18–04–2024 को असंतोष व्यक्त करते हुए आदेश पारित करते हुए निर्देशित किया गया कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश के स्तर से प्रकरण में शपथ पत्र दिनांक 24–7–2024 से पूर्व दाखिल किया जाये(छायाप्रति संलग्न)।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा उपरोक्त पारित आदेश के क्रम में संयुक्त सचिव, नगर विकास अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ ने पत्र संख्या–एनजीटी–124/नौ–5–2024–21रिट/2023 दिनांक 08–05–2023(छायाप्रति संलग्न) में अनुरोध किया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 में उल्लिखित दिशा–निर्देशो के अनुपालन में समस्त वाछिंत कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए समय से अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उपरोक्त प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,नईदिल्ली में दिनांक 15–04–2024 को अधोहस्ताक्षरी की ओर से स्टेट्स/कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करायी गयी थी। उक्त स्टेट्स/कार्यवाही रिपोर्ट में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की आख्या भी संलग्न है(छायाप्रति संलग्न)। कृपया उपरोक्त प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद द्वारा पूर्व प्रेषित आख्या का गहनता से परीक्षण उपरान्त आख्या एक सप्ताह के अन्दर भिजवाने का कष्ट करें, ताकि शासन को स्थिति से अवगत कराया जा सकें ।

संलग्न :– यथोपरि।

भवदीय,

(इन्द्र विक्रम सिंह),
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद

कार्यालय जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE, GHAZIABAD

पत्रांकः 184 /एस0टी0–डी0एम0/2024 दिनांकः 7 जून, 2024

1. नगर आयुक्त, नगर निगम गाजियाबाद।
2. सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।
3. क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूपीसीडा गाजियाबाद।
4. उपजिलाधिकारी, सदर गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710/2023 सुशील राघव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव नगर विकास अनुभाग–5 उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र संख्या एन0जी0टी0–124/नौ–5–2024–21 रिट/2023 दिनांक 08–05–2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 710/2023 सुशील राघव बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 18–04–2024 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मा0 एन0जी0टी0 में अनुपालन आख्या दाखिल कराये जाने एवं कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उल्लेखनीय है कि श्री सुशील राघव द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रीयल कालोनी जी0टी0रोड साहिबाबाद गाजियाबाद स्थित पार्क में नगर निगम गाजियाबाद द्वारा अनधिकृत रूप से रोड/पाथ–वे व इन्डस्ट्रीयल ड्रेन का निर्माण किये जाने तथा पार्क की बाउन्ड्री को शिफ्ट करके उसके क्षेत्रफल को कम किये जाने के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का यह भी कहना है कि राजेन्द्र नगर इन्डस्ट्रीयल कालोनी माईल 8/7 जी0टी0रोड साहिबाबाद अप्रूव्ड ले–आऊट प्लान के आधार पर 1930 में विकसित की गयी थी, जिसमें 14400 वर्गगज का पार्क चिन्हित किया गया है।

पूर्व में आपके स्तर से उपलब्ध करायी गयी आख्या के आधार पर अधोहस्ताक्षरी की ओर से मा0 न्यायाधिकरण में दिनांक 15–04–2024 को स्टेटस/कार्यवाही रिपोर्ट दाखिल करायी गयी थी, जिस पर मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा असंतोष व्यक्त करते हुए मुख्य सचिव उ0प्र0 के स्तर से प्रकरण में शपथ पत्र दाखिल किये जाने का निर्देश दिया गया है। प्रकरण में अग्रिम सुनवाई की तिथि 24–07–2024 नियत है।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण की गम्भीरता के दृष्टिगत उपरोक्त पार्क से सम्बन्धित अभिलेखों का गहन परीक्षण करते हुए 15 दिवस के भीतर आख्या उपलब्ध करायें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के समक्ष अनुपालन आख्या/शपथ पत्र दाखिल कराया जा सके।

संलग्नकः यथोक्त।

(इन्द्र विक्रम सिंह)
जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

ई-मेल-द्वारा

113

समयबद्ध/महत्वपूर्ण

संख्या:एन0जी0टी0-124/नौ-5-2024-21रिट/2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय।
3-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
4-जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
5-नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक: 07 मई, 2024

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 24.07.2024 को नियत है।**

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में समस्त वांछित कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए मा0 एन0जी0टी0 में अनुपालन आख्या दाखिल कराये जाने की कार्यवाही कराते हुए कृत कार्यवाही की आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक:यथोक्त।

भवदीय,
08.05.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-श्री भँवर पाल सिंह जादौन, पैनल अधिवक्ता, मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली ।
2-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,
08.05.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

EU361645303IN
24/4/24

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या 164 /नियोजन अनुभाग/2024–25 दिनांक 15/04/24

4596/ER

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा मे,

जिलाधिकारी
गाजियाबाद।

विषयः मा० एन०जी०टी०, नई दिल्ली में योजित OA No–710/2023 (I.A. No. 835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Others में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्रांक 77/ST-DM/2024 दिनांक 09.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पत्र में उल्लेखित राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कॉलोनी, जी०टी० रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

सादर अवगत कराना है कि राजेन्द्र नगर औद्योगिक कॉलोनी, साहिबाबाद के प्रश्नगत ले–आउट प्लान की प्राधिकरण के मास्टर प्लान अनुभाग के रिकार्ड रूम में पर्याप्त खोज करायी गयी परन्तु प्राधिकरण और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के समय का प्रश्नगत ले–आउट प्लान रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

कृपया तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय
15/4/24
(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन सं० – /नियोजन अनुभाग/2024–25 दिनांक

प्रतिलिपिः–उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोनार्थ।

सचिव

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या : 162 /नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक : 15-4-24

प्रेषक,

सचिव,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम,
गाजियाबाद।

विषयः **राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद स्थित बाबू जगजीवन राम पार्क 8/7 जी0टी0 रोड, साहिबाबाद गाजियाबाद का ले–आउट प्लान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक उद्यान प्रभारी, नगर निगम, गाजियाबाद के पत्र संख्या 433/2024–25 दिनांक 10.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त पत्र द्वारा राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद स्थित बाबू जगजीवन राम पार्क 8/7 जी0टी0 रोड, साहिबाबाद गाजियाबाद का ले–आउट प्लान उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है।

सादर अवगत कराना है कि राजेन्द्र नगर औद्योगिक कॉलोनी, साहिबाबाद के प्रश्नगत ले–आउट प्लान की प्राधिकरण के मास्टर प्लान अनुभाग के रिकार्ड रूम में पर्याप्त खोज करायी गयी परन्तु प्राधिकरण और इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के समय का प्रश्नगत ले–आउट प्लान रिकार्ड रूम में उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

कृपया तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय
15/4/24
(राजेश कुमार सिंह)
सचिव

पृष्ठांकन सं0 /नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक

प्रतिलिपिः–

1. जिलाधिकारी महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
3. प्रभारी–उद्यान, नगर निगम, गाजियाबाद को सूचनार्थ।

सचिव

कार्यालयः नगर आयुक्त, गाजियाबाद नगर निगम।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COMMISSIONER, GHAZIABAD MUNICIPAL CORPORATION

दूरभाषः 0120-2790425, 2713580 ई-मेलः gzb.nagar.nigam@gmail.com

पत्रांकः 07 /न0आ0/2024 दिनांकः 12/04/2024

प्रेषकः

नगर आयुक्त,
गाजियाबाद नगर निगम।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषयः विषयः मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित OA No-710/2023 (I.A. No- 835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्र सं0-77/एस.टी.डी.एम./2024 दिनांक 09.04.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में योजित OA No-710/2023 (I.A. No-835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही करते हुए, कृत कार्यवाही की आख्या उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रश्नगत प्रकरण में विभागीय आख्या तैयार कराकर पत्र के साथ संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नकः-यथोक्त।

भवदीय

12/4/24

(विक्रमादित्य सिंह मलिक)
आई.ए.एस.
नगर आयुक्त

61

(42)

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्र संख्या 160 /नियोजन अनुभाग/2024 दिनांक 12.05.24

प्रेषक,

मुख्य नगर नियोजक,
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गाजियाबाद।

विषयः मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में योजित **OA No-710/2023 (I.A. No. 835/2023) Sushil Raghav Versus State of Uttar Pradesh & Others** में पारित आदेश दिनांक 05.02.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्रांक 77/ST-DM/2024 दिनांक 09.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से पत्र में उल्लेखित राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कॉलोनी, जी0टी0 रोड, साहिबाबाद, गाजियाबाद के सम्बन्ध में बिन्दुवार सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्राधिकरण में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार उक्त राजेन्द्र नगर इण्डस्ट्रियल कॉलोनी, जी0टी0 रोड, साहिबाबाद प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत कराये जाने का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

कृपया तद्नुसार अवगत होने का कष्ट करें।

12/05/24

मुख्य नगर नियोजक

पृ0 सं0: /नियोजन अनुभाग/2024 दिनांकः

प्रतिलिपिः–

1– सचिव महोदय को सादर अवलोकनार्थ।

मुख्य नगर नियोजक

Scanned with OKEN Scanner

APPROVED LAY OUT PLAN OF RAJENDRA NAGAR INDUSTRIAL COLONY ON G.T. ROAD MILE 8/7 V. SAHIBABAD TEH: GHAZIABAD

SCALE 82½ FT = 1'

SHOWING LOCATION OF TEMPORARY OFFICE

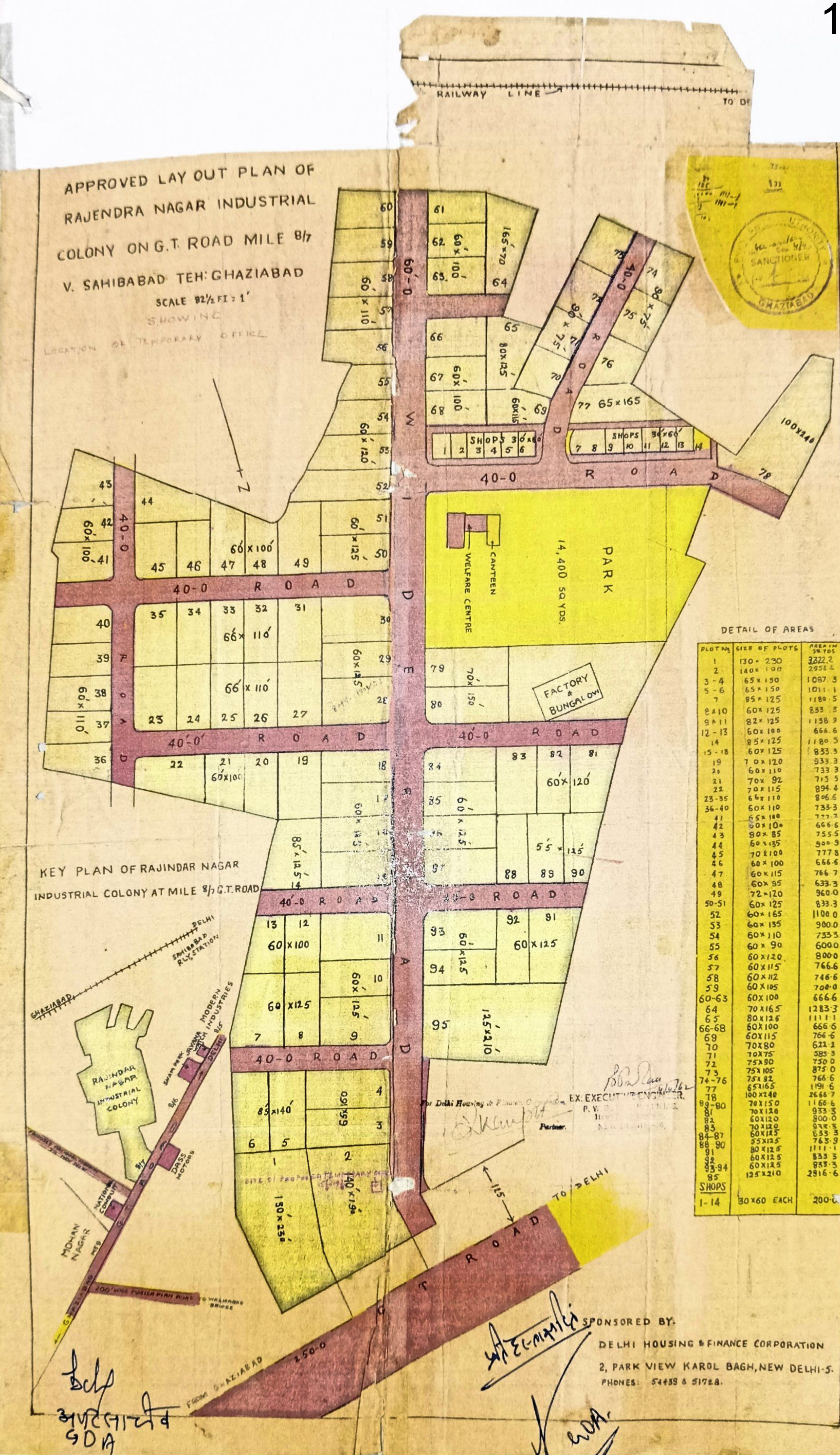

DETAIL OF AREAS

PLOT No.	SIZE OF PLOTS	AREA IN SQ.YDS.
1	130×230	3322.2
2	140×100	2958.4
3-4	65×150	1087.3
5-6	65×150	1011.1
7	85×125	1180.5
8&10	60×125	833.3
9&11	82×125	1138.9
12-13	60×100	666.6
14	85×125	1180.5
15-18	60×125	833.3
19	70×120	933.3
20	60×110	733.3
21	70×92	715.5
22	70×115	894.4
23-35	66×110	806.6
36-40	60×110	733.3
41	65×100	722.2
42	60×100	666.6
43	80×85	755.5
44	60×135	900.9
45	70×100	777.8
46	60×100	666.6
47	60×115	766.7
48	60×95	633.3
49	72×120	960.0
50-51	60×125	833.3
52	60×165	1100.0
53	60×135	900.0
54	60×110	733.3
55	60×90	600.0
56	60×120	800.0
57	60×115	766.6
58	60×112	746.6
59	60×105	700.0
60-63	60×100	666.6
64	70×165	1283.3
65	80×125	1111.1
66-68	60×100	666.6
69	60×115	766.6
70	70×80	622.2
71	70×75	583.3
72	75×90	750.0
73	75×105	875.0
74-76	75×92	766.6
77	65×165	1191.6
78	100×240	2666.7
79-80	70×150	1166.6
81	70×120	933.3
82	60×120	800.0
83	70×120	933.3
84-87	60×125	833.3
88-90	55×125	763.9
91	80×125	1111.1
92	60×125	833.3
93-94	60×125	833.3
95	125×210	2916.6
SHOPS 1-14	30×60 EACH	200.0

<u>समयबद्ध / महत्वपूर्ण</u>

<u>**संख्या:4418 / नौ–5–2024–21रिट / 2023**</u>

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

1–जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
2–नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
3–उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ:दिनांक: 22 जुलाई, 2024

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710 / 2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710 / 2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। **प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 24.07.2024 को नियत है।**

2– उल्लेखीय है कि मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा **श्री सत्य प्रकाश पटेल, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन** को मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–710 / 2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors में पारित आदेश दिनांक 18.04.2024 के अनुपालन में आज दिनांक 22.07.2024 को स्थलीय निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

3– अत: इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विशेष सचिव महोदय के उपरोक्त निरीक्षण में प्रकरण से भिज्ञ अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
22.07.2024.

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

<u>**संख्या एवं दिनांक उपरोक्त**</u>

प्रतिलिपि: निजी सचिव, विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,
22.07.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC